डायरी संख्या
Dy. No. 4893 RTI Sec./2015
दिनांक/Date. 04/08/15

13123/FS/15
01/8/15

सूचना का अधिकार

प्रधान मंत्री कार्यालय

साउथ ब्लाक, नई दिल्ली - 110 011

संख्या आरटीआई/8549/2015-पीएमआर

दिनांकः 30/07/, 2015

1643/15

कार्यालय ज्ञापन

विषय - सूचना का अधिकार के तहत आवेदन-पत्र

उपर्युक्त विषय पर श्री कैलाश बाँकोलिया से प्राप्त दिनांक 10.7.2015 का आवेदन-पत्र, जो इस कार्यालय में दिनांक 17.7.2015 को प्राप्त हुआ है, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत यथोचित कार्रवाई हेतु अंतरित किया जा रहा है।

2. आवेदक से आवेदन-शुल्क प्राप्त हो गई है।

(पी.के. शर्मा)
अवर सचिव एवं
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
☎: 2338 2590

विदेश सचिव, विदेश मंत्रालय
साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली

बिंदु संख्या 1 के संगत अंश के संबंध में

प्रति- (रजिस्टर्ड पोस्ट ए.डी. द्वारा)

श्री कैलाश बॉकोलिया
आजाद चौक
कुम्हारो के मोहल्ले के पीछे
पुरानी लाईन गंगा शहर
बीकानेर, राजस्थान

कृपया आप इस संबंध में आगे सूचना हेतु उपरोक्त लोक प्राधिकरण से सम्पर्क करें। इस कार्यालय से संबंधित बिंदु संख्या 1 के संबंध में सूचना प्रधान मंत्री कार्यालय की वेबसाइट (www.pmoindia.gov.in) पर उपलब्ध है। बिंदु संख्या 2 के संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) में उल्लेख है कि किसी भी प्रकार की सूचना चाहने वाला व्यक्ति संबंधित लोक प्राधिकरण के लोक सूचना अधिकारी से अनुरोध करेगा। अधिनियम की धारा 6(3) अनुसार जहाँ कोई आवेदन किसी लोक प्राधिकारी को किसी ऐसी सूचना के लिए अनुरोध किया जाता है जो किसी दूसरे लोक प्राधिकरण द्वारा धारित हो या जिसकी विषय-वस्तु किसी दूसरे लोक प्राधिकरण के कृत्यों से निकटतर रूप से संबंधित है, वहाँ वह लोक प्राधिकारी, जिसको ऐसा आवेदन किया जाता है, ऐसे आवेदन या उसके ऐसे भाग को, जो समुचित हो, उस दूसरे लोक प्राधिकरण को अंतरित करेगा और ऐसे अंतरण के बारे में आवेदक को तुरन्त सूचना देगा। आपके द्वारा चाही गई जानकारी एक से अधिक दूसरे लोक प्राधिकरणों से संबंधित है। अतएव, आपके अनुरोध पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उपबंधों के अंतर्गत कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है। अतः आपको सलाह दी जाती है कि सूचना प्राप्त करने के लिए केन्द्र सरकार के संबंधित लोक प्राधिकारियों को अलग-अलग आवेदन करें।

2. इस संबंध में केन्द्र सरकार के विभिन्न वेबसाइट संबंधी जानकारी हेतु भारत सरकार के इन्टरनेट वेबपेज www.goidirectory.nic.in पर संपर्क किया जा सकता है।

US(RTI)

DEP(C)

4/8

8549_22/7/15

8549/15

मुद्रकः नवज्योति प्रिण्टर्स, कोटगेट, बीकानेर ☎ 0151–2547912

प्रारूप 'क'

(धारा 5 (1) देखिए)

सूचना चाहने के लिए आवेदन का प्रारुप

...OFFICE
17 JUL 2015
DAK SECTION

प्रेषिती,

कार्यालय का भारसाधक

कार्यालय.. केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (प्रधानमंत्री कार्यालय) अवर सचिव (R.T.I.) साउथ ब्लॉक नई दिल्ली-110011

1. आवेदक का पूरा नाम कैलाश बॉकोलिया
2. पता आजाद चौक, कुम्हारो के मौहल्ले के पिछे, पुरानी लाईन गंगाशहर बीकानेर (राजस्थान)

3. सूचना की विशिष्टियां

   1. उप विभाग/कार्यालय का नाम, जिससे सूचना संबंधित है.......
   2. सूचना की प्रकृति.......
   3. सूचना के पूर्ण ब्यौरे.......

① प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जुलाई 2015 तक 19 विदेशी दौरे, यात्राओ का स्टाफ सहित खर्च का हिन्दी मे लिखित हिसाब कि अलग-2 प्रमाणित सूचना उपलब्ध करवायें।

② प्रधान मंत्री के सभी मंत्री मण्डल के मंत्रीयो के निवास के 1 जनवरी 2015 से 30 जून 2015 के बिजली के बिल कि फोटो स्टेट प्रतिमा नाम के साथ उपलब्ध करवाये। एवं कितने मंत्रीयो ने सरकारी खर्चे पर 30 जून तक विदेश यात्रा कि है, उन्के यात्रा किराया ठहरने का होटल आदि खर्च, खाने-पिने का खर्च, कितने लोग साथ में थे आदि का अलग-अलग प्रमाणित सूचना उपलब्ध करवाये।

Website - 1
US(Admn) - 1
Multiple - 2

4. क्या फीस के संदाय का सबूत संलग्न कर दिया है :– हां/नहीं

भारतीय पोस्टल आर्डर सं. 32F 347511

मैं यह कथन करता हूं कि चाही गई सूचना अधिनियम की धारा 5 में अन्तर्विष्ट निर्बन्धन के अन्तर्गत नहीं आती हैं।

URGENT
RTI ACT
Diary No. 35722
& Date 17/7/15
Fw ... 6/8/15

स्थान : बीकानेर
दिनांक : 10/7/2015
समय :

(signature) 10/7/2015
आवेदक के हस्ताक्षर

M. 9636415895

IPNo- 32F 347511 Rs-10/-

11229495

S/551/24/2015
विदेश मंत्रालय
(दक्षिणी प्रभाग)
***

जवाहरलाल नेहरु भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 23 मार्च 2016

सेवा में,

श्री कैलाश बांकोलिया
आज़ाद चौक
कुम्हारों के मोहल्ले के पीछे
पुरानी लाइन, गंगा शहर,
बीकनेर, राजस्थान

महोदय,

कृपया अपने आवेदन पत्र क्रमांक – आरटीआई/8549/2015-पीएमआर दिनांक 17.07.2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे जिसमे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आपने माननीय प्रधान मंत्री द्वारा की गई विदेश यात्राओ के बारे में जानकारी मांगी थी।

2. आपके द्वारा मांगी गयी सूचना के विषय में, ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में आपको यह सूचित किया जाता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद मोदी जी-20 लीडर शिखर सम्मेलन (ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया 15 नवम्बर, 2014) में भाग लेने के पश्चात ऑस्ट्रेलिया के द्वि-पक्षीय आधिकारिक यात्रा पर (16-18 नवम्बर, 2014) गए थे।

3. यदि आप उपरोक्त सूचना से सहमत नहीं है, तो आप सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के तहत इस पत्र की प्राप्ति से 30 दिनों के भीतर निमंलिखित प्रथम अपील प्राधिकारी को अपील कर सकते है।

श्रीमान पीयूष श्रीवास्तव
संयुक्त सचिव एवं प्रथम अपील प्राधिकारी
विदेश मंत्रालय, कमरा संख्या 3005
जवाहरलाल नेहरू भवन, नई दिल्ली- 110011
दूरभाष : 49015229, ईमेल- dirsouth@mea.gov.in

पूजा वेर्णेकर

(पूजा वी वेर्णेकर)
अवर सचिव एवं केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी
दूरभाष -49015241, ईमेल- usic@mea.gov.in

प्रतिलिपि :-

1. संयुक्त सचिव, विदेश मंत्रालय- सूचनार्थ
2. अवर सचिव, आर॰ टी॰ आई॰, विदेश मंत्रालय- सूचनार्थ
3. अवर सचिव (DD)